FORM NO III | APP-A | Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बाजदायरी प्रा० पत्र स्वीकार 06/9/19

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

केसा पुत्र श्री माला जाति रावत बनाम श्रीमती तोफी देवी पत्नि बन्ना रावत व अन्य

किस्म मुकदमा बाज. प्रा. पत्र नम्बर 313/2019 सन् 2019 (ब्यावर)

CO. 9 R. 9 CPC

2019/00313

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री अरुण प्रजापति श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
6.9.19	यह प्रार्थना पत्र बाजदायरी (अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने)श्री अरूण प्रजापति एड़वोकेट ने न्यायालय हाजा द्वारा अपील को दिनांक 07.08.2019 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किये जाने के विरूद्ध अन्तर्गत आदेश 09 नियम 9 जाप्ता दीवानी के तहत् पेश किया है। प्रार्थना पत्र बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रार्थना पत्र पर अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।अभिभाषक प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं प्रार्थना पत्र व अपील का अवलोकन किया गया । बाद अवलोकन न्यायहित में बाजदायरी प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील का निस्तारण गुणावगुण पर करना उचित समझते है किन्तु अभिभाषक प्रार्थी, अपील में आवश्यक रूप से बहस करे। रैस्पोडेन्टस की तलबी हेतु नोटिस जरिये रजिस्टर्ड एड़ी आवश्यक रूप से पेश करेगें। अतः प्रार्थना पत्र बाजदायरी को न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं तथा अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों। (हस्ताक्षर) राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	